

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

क/मंडी/प्रांगण/गोपालपुर उप मंडी/2017/1529


भोपाल, दिनांक: 16/03/17

--: आदेश :-

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 की कंडिका-3 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से पुलिस थाना की स्थापना/संचालन, कृषि उपज मंडी समितियों के अधिसूचित प्रांगण में किये जाने को "कृषकों की सुविधाओं के लिए वांछनीय प्रयाजन" का विनिश्चय किया जाता है।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 की कंडिका-3 (6) के "परन्तुक" के प्रावधानों के अनुसार, कृषि उपज मंडी समिति नसरुल्लागंज की उप मंडी, गोपालपुर के नवीन प्रांगण में स्थित प्रशासकीय भवन के दो कमरों को छोड़ कर, शेष भवन, अस्थायी रूप से पुलिस थाना संचालित करने के लिये, जिला कलेक्टर के द्वारा तथे मूल्य/मासिक किराये पर आवंटित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह अनुमति एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से पुलिस थाना की स्थापना/संचालन हेतु विशेष प्रकरण मानकर प्रदान की गयी है, जिसे भविष्य में उदाहरण नहीं माना जायेगा।



(राकेश श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक


म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पू.क/मंडी/प्रांगण/गोपालपुर उप मंडी/2017/1530

भोपाल, दिनांक: 16/03/17

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2- पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद भोपाल
- 3- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 4- आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
- 5- कलेक्टर, जिला सीहोर, आपके पत्र क्रमांक-602/एस.डब्ल्यू./2017 दिनांक 09.02.2017 के संदर्भ में।
- 6- पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर, आपके पत्र क्रमांक/पुअ/सीहोर/एसी-1/पुमु-6124-सी/2017 दिनांक 14.03.2017 के संदर्भ में।
- 7- अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल।
- 8- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की ओर पालनार्थ।



प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल